राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय, पंत कृषि भवन, जयपुर

क्रमांक प 5 (58)/आ.कृ./ एमएफएसएम–ओस/टीबीओएस/2019–20 12321-64 दिनांक 22-6-19

1. उप निदेशक कृषि (विस्तार)
बीकानेर/श्रीगंगानगर/नागौर/चुरू/
हनुमानगढ/टोंक/बांरा/जैसलमेर/झुंझुनू/धौलपुर/अलवर
2. सहायक निदेशक उद्यान/ सहायक निदेशक कृषि (विस्तार)
बीकानेर/श्रीगंगानगर/नागौर/चुरू/हनुमानगढ/टोंक/
बांरा/जैसलमेर/झुंझुनू/धौलपुर/अलवर

विषय :– जैतून की खेती के क्षेत्र विस्तार योजना के दिशा–निर्देशों के क्रम में।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–टी.बी.ऑ.स. अन्तर्गत कृषकों के खेतों पर वृक्ष जनित तिलहनों के पौध रोपण परियोजना के तहत वर्ष 2019–20 में जिलेवार लक्ष्य संलग्न करके भिजवाये जा रहे हैं। आवंटित लक्ष्यों के अनुसार निम्न बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए कार्यक्रम क्रियान्वयन की सुनिश्चितता करावें तथा अर्जित की गई प्रगति से समय–समय पर अवगत कराने की कार्यवाही करावें।

सामान्य निर्देशः

1 योजनार्न्तगत कृषकों का चयन यथासम्भव समूह के रूप में किया जावें।
2 योजना गतिविधियों के लिए सहायता/अनुदान प्रावधान का कृषकों के बीच व्यापक प्रचार–प्रसार किया जावें।
3 योजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में स्थानीय स्तर पर पंचायत राज संस्थाओं की यथासंभव भागीदारी रखी जावें।
4 योजनार्न्तगत विभिन्न कार्यक्रमों के तहत अनुदान/ सहायता हेतु आवेदन पत्र क्षेत्र के उप निदेशक कृषि (विस्तार)/ उपनिदेशक उद्यान/आर.ओ.सी.एल/ सहायक निदेशक उद्यान/ सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) सम्बंधित सहायक कृषि अधिकारी /कृषि पर्यवेक्षक को प्रस्तुत करने होंगे।
5 योजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में भारत सरकार के नियमानुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एंव महिला कृषकों को लाभान्वित किये जाने की सुनिश्चितत्ता करावें।
6 योजनार्न्तगत आवेदन निर्धारित आवेदन पत्र में प्राप्त करने होंगे। (संलग्न)
7 योजना के तहत अनुदान प्राप्त करने के लिये आवेदन करने वाले वास्तविक आवेदक की मृत्यु होने की स्थिति में अनुदान राशि वास्तविक आवेदक के कानूनी उत्तराधिकारी को देय होगी। इसके लिये लाभार्थी को कानून में निर्धारित किये प्रावधान अनुसार उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

Scanned by CamScanner